चालानों का कम्पाउण्ड किये जाने की पावर–

उत्तराखण्ड शासन परिवहन विभाग सख्या 688/10/435/2004 दिनॉक 20 दिसम्बर 2004 अधिसूचना जारी की गयी । जिसके अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन 1988) की धारा 217 एवं साधारण खण्ड अधिनियम–1987 के साथ पठित उपयुक्त अधिनियम (अधिनियम संख्या सन 1988) की धारा 200 की उप धारा (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों एवं उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–5609/छः–पु0–2–94–200 (3)/94 दिनॉक 05–01–95 को अतिकमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय यह निर्देश देते है, कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ–2 मे इंगित अधिकारी स्तम्भ–5 के अनुसार प्रत्येक धारा के समक्ष विर्निदष्ट धनराशि के लिए स्तम्भ–3 में उल्लिखित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन कर सकेगे ।

क्र0 स0	अधिकारी	धारा	अपराध का सक्षिप्त विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क की नियत दरे(रु) में
1	नागरिक/ यातायात पुलिस में नियुक्त अधिकारी नियुक्ति के जनपद की सीमा के अन्तर्गत जो उप निरीक्षक से निम्न स्तर के न हो ।	धारा–177	बिना नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाना	100.00
		धारा 177 सपठित धारा 179	बिना हैलमेट के वाहन चलाना	100.00
		धारा 179(1)	विधि के अनुसार दिये गये निर्देशो का पालन न करना	100.00
		धारा 179(2)	असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना	250.00
		धारा 183(2)	निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना	300.00
		धारा 184	मोटर वाहन खतरनाक प्रकार से चलाना/चलते वाहन मे चालक द्वारा मो0 का प्रयोग	500.00
		धारा 186	शरीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने की हालत मे वाहन चलाना	200.00
		केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 138(3)	बिना सीट बैल्ट के मोटर वाहन चलाना	100.00

परन्तु नागरिक / यातायात पुलिस मे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी से भिन्न अधिकारी केंवल अपराध होते समय घटनास्थल पर ही उक्त प्रकार के प्रशमन के लिए अधिकृत होगे ।

पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम के निम्न अपराधो के घटित होने पर निम्न प्रशमन के लिये अधिकृत होगे ।

शासनदेश संख्या 5609(1) / छ:पु0–2–94–200(3) / 94 दिनॉक 5–1–1995 के अनुसार महामहिम श्री राज्यपाल , उत्तर प्रदेश प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अपराधो का निर्धारित शुल्क निम्न है ।

क0 स0	अपराध	धारा / नियम	धनराशि
1	सार्वजनिक स्थान पर बिना ड्राइविग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना	धारा 3 सपठित धारा 181	**250.00**
2	निर्धारित आयु से कम व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाना	धारा 4 सपठित	**250.00**
3	मोटर वाहन को स्ंवय और धारा 3 व 4 के विरूद्व किसी व्यक्ति को अपना वाहन चलाने की अनुमति देना ।	धारा 5 सपठित धारा 180	**500.00**
4	किसी अन्य व्यक्ति को अपना ड्राइविग लाइसेन्स देना	धारा 6(2) सपठित	**50.00**
5	किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध पंजीकरण के मोटर वाहन को यात्री अथवा माल ढोने मे प्रयोग करना या करने देना	धारा 39 सपठित धारा 192	**500.00**
6	किसी वाहन का अन्य राज्य के पंजीकरण चिन्ह के साथ 12 माह से अधिक चलाना ।	धारा 47 सपठित धारा 177	**50.00**
7	किसी मोटर वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से चलाना	धारा 112 सपठित धारा 103	**200.00**
8	विधि के अनुसार दिये गये निर्देशो का पालन न करना ।	धारा 179(1)	**100.00**
9	मोटर वाहन खतरनाक ढग से चलाना	धारा 184	**200.00**
10	शरीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम होने की हालत मे वाहन चलाना	धारा 186	**150.00**
11	बिना नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाना	धारा 177	**100.00**
12	मागने पर ड्राइविग लाइसेन्स उपलब्ध न कराना	धारा 130(1) व 129	**50.00**
13	असत्य सूचना देने अथवा छिपाने पर	धारा 179(2)	**250.00**